

प्रेषक

जीवन चन्द्र जोशी,  
वित्त नियंत्रक,  
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in  
फोन/फैक्स:-0135-2741607, 2742641  
ई-मेल:-ccfpfmua@gmail.com

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/  
प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग,  
देहरादून, उत्तराखण्ड।

देहरादून: दिनांक: 21 अक्टूबर, 2021.

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2021-22 में वन विभाग के अनुदान सं0-27 की केन्द्र पोषित योजना राष्ट्रीय प्राधिकरण (कैम्पा) योजनान्तर्गत शासन से निम्न विवरणानुसार अवमुक्त बजट का आवंटन।

**संदर्भ :-** शासनादेश संख्या 1203/X-2-2021-12(07)2021 दिनांक 03 जून, 2021 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।  
महोदय,

उक्त सन्दर्भित शासनादेश एवं संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. S21060270004 दिनांक 03.06.2021 से वित्तीय वर्ष 2021-22 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की केन्द्र पोषित योजना राष्ट्रीय प्राधिकरण (कैम्पा) योजनान्तर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण (कैम्पा) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406-04-103-02-00-प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, मृदा एवं जल संरक्षण/प्रतिकारात्मक वनीकरण प्राधिकरण (कैम्पा) हेतु शासन से अवमुक्त बजट ₹75,00,00,000/- (₹पिचहत्तर करोड़ मात्र) के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त/जारी की गयी धनराशि ₹29,24,00,000/- (₹उनतीस करोड़ चौबीस लाख मात्र) के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान जारी किये जाने अनुमोदित की गयी धनराशि ₹17,43,00,000/- (₹सत्रह करोड़ तैतालीस लाख मात्र) का IFMS पोर्टल के माध्यम से विभाग के आहरण वितरण अधिकारी-प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, वन प्रभाग देहरादून को मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड, कैम्पा, देहरादून को उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अवमुक्त/जारी करते हुये प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है।

धनराशि (करोड़ ₹में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	मानक मद	पूर्व में अवमुक्त / जारी धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त / जारी धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि
1	केन्द्र पोषित योजना राष्ट्रीय प्राधिकरण (कैम्पा) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2406-04-103-02-00-प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, मृदा एवं जल संरक्षण/प्रतिकारात्मक वनीकरण प्राधिकरण (कैम्पा)	42-अन्य विभागीय व्यय	29.24	17.43	46.67
कुल योग			29.24	17.43	46.67

1-संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2-अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र दिनांक 07.05.2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुपालन में किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्यों हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूचित आधार पर अनुमन्य मानकों के अनुसार गठित आंगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

3-अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-423/09(150)-2019/XXVII(1)/2021 दिनांक 31.03.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4-कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

5-आवंटित धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमैट) नियमावली 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सु-संगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6-योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहाँ आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जायेगी।


7-अवमुक्त की जारी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार, महालेखाकार एवं शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

*Chisht*

8-आवंटित/जारी धनराशि के मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.-4 में कार्यालयवार भरकर विलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।  
9-संदर्भित शासनादेश एवं उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 9 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

*Amsh*

भवदीय,  
  
(जीवन चन्द्र जोशी)  
वित्त नियंत्रक

संख्या: नि0 1373 (1)/3-5 (कैम्पा), तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।

2- महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।

3- अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4- अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

5-निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।

6-मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड को IFMS पोर्टल के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।

7- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

8- मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड, कैम्पा, देहरादून।

9- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त देहरादून, उत्तराखण्ड।

10-उप वन संरक्षक, आइ0टी0जी0सी0, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

*Amsh*

  
(जीवन चन्द्र जोशी)  
वित्त नियंत्रक

आवंटन पत्र संख्या -Ni-1373/3-5

आवंटन आई डी-H21100270037

अनुदान संख्या-027

आवंटन पत्र दिनांक-21-OCT-2021

लेखा शीर्षक

2406-वानिकी तथा वन्य जीवन

04-Afforestation and Ecology Development

103-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा

02-प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, दंडित प्रतिपूरक वनीकरण, मृदा एवं जल संरक्षण/ प्रतिकारात्मक वनीकरण प्राधिकरण (कैम्पा)

00--

Voted

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	2	0	0
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग					
42-अन्य विभागीय व्यय				292400000	174300000	0	466700000					
योग				292400000	174300000	0	466700000					

**Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.17,43,00,000 (Rupees Seventeen Crores Forty Three Lacs Only)**

Batch ID : DIS:4260:4260:2110:0051

Approval Status : APPROVED BY OFFICER




वित्त नियंत्रक  
 वन विभाग  
 कार्यालय  
 प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड  
 देहरादून